आदेश

विषय:- भारमुक्त प्रमाण पत्र देने हेतु अधिवक्ताओं का पेनल-गठन ।

इस कार्यालय के आदेशांक 277/लीगल/75-76, दिनांक:25·05·76 एवं आदेशांक ली-136/लीगल/85-86, दिनांक:18·01·86 में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

(1) प्रत्येक शाखा के लिये कम से कम तीन और अधिक से अधिक पाँच अधिवक्ताओं का पेनल स्वीकृत किया जाये जिसमें यथा सम्भव एक पिछड़ा वर्ग तथा एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का अधिवक्ता हो ।

(2) शाखा के तहसील मुख्यालय के अधिवक्ताओं से संलग्न प्रारूप पर आवेदन प्राप्त किये जायेंगे तथा नया पेनल गठित हो जाने पर पूर्व पेनल अधिवक्ताओं से काम लेना बन्द कर दिया जायेगा ।

(3) आवेदन पत्र आमंत्रित करते समय यह स्पष्ट कर दिया जाये कि उन्हीं अधिवक्ताओं के आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा जिनमें अधोलिखित अर्हतायें होंगी :-

(अ) बार काउंसिल का सदस्य हो ।

(ब) कम से कम पाँच वर्ष की वकालत का अनुभव हो ।

(स) माल मुकदमों का अनुभव हो ।

(द) बैंक शाखा में भारमुक्त प्रमाण पत्र दिये जाने का अनुभव प्राप्त को, प्राथमिकता दी जायेगी ।

(य) बैंक में गलत भारमुक्त प्रमाण पत्र कभी प्रेषित न किया हो व

(र) बैंक की शर्तें स्वीकार हो ।

(4) प्राप्त आवेदन पत्रों को शाखा प्रबन्धक अपनी संस्तुति के साथ जनपद के वरिष्ठ प्रबन्धक के माध्यम से तथा वरिष्ठ प्रबन्धक अपनी शाखा से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्तुति सहित सीधे क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्रेषित करेंगे । क्षेत्रीय प्रबन्धक आवेदन पत्रों पर 15 दिन के अन्दर विचार कर स्वीकृति प्रदान कर शाखा प्रबन्धकों को अवगत करायेंगे तथा एक प्रति प्रधान कार्यालय को भी प्रेषित करेंगे ।

(5) इस प्रकार गठित पेनल की स्वीकृत सूची प्रबन्ध निदेशक महोदय की अनुमति से संशोधित की जा सकेगी तथा किसी भी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र को स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में बैंक का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा तथा इस सम्बन्ध में बैंक द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा ।

(6) शाखा प्रबन्धक द्वारा वकीलों को समान संख्या में कार्य दिया जायेगा ।

(7) अधिवक्ताओं को अधोलिखित शर्तों पर बैंक द्वारा मान्यता प्रदान की जायेगी ।

क्रमशः 02 पर

1. भारमुक्त प्रमाण पत्र बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर, भूमि के बंधक किये जाने की तिथि से 12 वर्ष पूर्व तक के अभिलेखों को उप रजिस्ट्रार कार्यालय में भली-भाँति जाँचकर, प्रस्तुत करेंगे तथा ऐसे सभी तथ्यों का उल्लेख करेंगे जो बैंक द्वारा वितरित किये जाने वाले ऋण पर विपरीत प्रभाव डालता हो।

2. दिया गया प्रमाण पत्र यदि फर्जी/त्रुटिपूर्ण पाया जाये जिसके कारण बैंक-ऋण की वसूली सम्भव न हो अथवा संदिग्ध हो जाये तो ऐसे प्रमाण पत्र पर दिये गये ऋण को जमा करने के लिये सम्बन्धित अधिवक्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3. शाखा से प्रमाण पत्र देने हेतु प्रारूप प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करा देंगे।

4. बैंक के पैनल में नियुक्ति के पश्चात बैंक के विरूद्ध दायर न्यायालय में किसी वाद की पैरवी नहीं करेंगे तथा बैंक की छवि धूमिल करने वाला कोई कार्य नहीं करेंगे।

5. प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिवक्ता को रू0-20/- (बीस) प्रति भार-मुक्त प्रमाण पत्र की दर से तथा एक ही ऋण प्रकरण में एक से अधिक उप-रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रेशन) कार्यालय में भूमि के भार की जाँच कर भार-मुक्त प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने अथवा दो शाखाओं के पैनल अधिवक्ताओं से अलग-अलग भार-मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की दशा में अधिकतम रूपये 30/- (तीस रूपये) पारिश्रमिक भुगतान किया जायेगा। भुगतान हेतु बिल अधिवक्ता द्वारा संलग्न प्रारूप पर प्रस्तुत किया जायेगा जिसकी स्वीकृति शाखा प्रबन्धक करेंगे तथा बैंक द्वारा भुगतान किया जायेगा।

6. अधिवक्ता अपने हस्ताक्षर उप-रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रेशन) से प्रमाणित कराकर शाखा प्रबन्धक को देंगे।

7. शाखा प्रबन्धक एक पंजिका में अधिवक्ताओं के नाम व ऋण पत्रावली का विवरण अंकित करेंगे जिसकी जाँच क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा समय-समय पर की जायेगी। जाँच किये गये भारमुक्त प्रमाण पत्रों की संख्या का मासिक विवरण पत्र क्षेत्रीय प्रबन्धक को मासिक बैठक में शाखा द्वारा दिया जायेगा।

संलग्नक:- आवेदन पत्र एवं बिल का प्रारूप।

(ओमकार यादव)
प्रबन्ध निदेशक

(1)

आवेदन पत्र का प्रारूप

वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
शाखा______________________
जनपद______________________

विषय:- एन0ई0सी0 पैनल गठन विषयक बैंक के परिपत्र सं0-सी-159/19182 दिनांक 07.01.05 के सम्बन्ध में आवेदन पत्र।

आपके बैंक की शाखा____________________के लिये भूमि के भारमुक्त प्रमाणपत्र देने हेतु मैं अपनी सेवायें निम्न शर्तों के अन्तर्गत देने हेतु तैयार हूँ।

(1) भारमुक्त प्रमाण पत्र नियमानुसार भूमि बन्धक की तिथि से 12वर्ष के पूर्व तक के अभिलेखों की जाँच सम्बन्धित सब रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रेशन) कार्यालय से करके, निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करूँगा।

(2) प्रमाण पत्र देने हेतु सूचना प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूँगा।

(3) यदि मेरे द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र फर्जी या गलत पाया जाये तो बैंक द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र के आधार पर दिये गये ऋण की अदायगी बैंक को मैं स्वयं करूँगा।

(4) भारमुक्त प्रमाण पत्र देने हेतु बैंक द्वारा पैनल में नियुक्त किये जाने के उपरान्त बैंक के विरुद्ध दायर होने वाले किसी वाद में पैरवी नहीं करूँगा और न कभी बैंक की छवि धूमिल करने सम्बन्धी कार्य करूँगा।

(5) प्रत्येक ऋण पत्रावली के सम्बन्ध में भारमुक्त प्रमाण पत्र देने हेतु रूपये 20/- (मु0 बीस रूपये मात्र) पारिश्रमिक प्राप्त करने हेतु सहमत हूँ।

(6) मैं बार काउंसिल का सदस्य हूँ एवं पंजीकरण सं0-____________ वर्ष तथा पंजीकरण तिथि________________है।

(7) मैं वर्ष__________से स्थान_________________________ पर वकालत कर रहा हूँ।

(8) बैंक द्वारा मुझे मान्यता दिये जाने पर मैं अपने सब रजिस्ट्रार से प्रमाणित अपना हस्ताक्षर प्रस्तुत करूँगा।

(9) विशेष अनुभव-

संलग्नक:- पंजीकरण प्रमाणपत्र।
दिनांक:-

हस्ताक्षर__________

नाम व पूरा पता______________

वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
शाखा________________________
जनपद________________________

बिल

मेरे द्वारा माह________________वर्ष________________में निम्नलिखित ऋण वितरण की पत्रावलियों में भारमुक्त प्रमाण पत्र दिया गया जिसका मु0________________रुपया बीस रुपये प्रति पत्रावली की दर से भुगतान करने की व्यवस्था की जाये।

क्रमांक	ऋणी का नाम	पूरा पता	पत्रा0सं0	प्रमाणपत्र देने की तिथि	अन्य
1.	2.	3.	4.	5.	

1. कुल दिये गये प्रमाण पत्रों की संख्या____________
2. भुगतान 20/- रुपये प्रति पत्रावली की दर से____________

हस्ताक्षर एडवोकेट

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पृष्ठांकन सं0- सी-159 /विधि-2/2004-05 दिनांक: 07.1.05

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
3. प्रशासक महोदय, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ।
4. उप महाप्रबन्धक, प्रशिक्षण केन्द्र, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, 10 माल एवेन्यू, लखनऊ।
5. समस्त अधिकारी, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

7/1/05

मुख्य महाप्रबन्धक